

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रेफरेंस/एलआर/2006/1066/टोंक</b> <b>सरकार बनाम गोविन्दा</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री गौरव बजाड़, सदस्य</b></p> <p><b>उपस्थित:-</b></p> <p>1- श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। 2- अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;"><b>निर्णय</b></p> <p style="text-align: right;"><b>दिनांक: 04.02.2026</b></p> <p>यह रेफरेंस जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में पारित निर्णय दिनांक 19-10-2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, निवाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार, निवाई द्वारा विपक्षी गोविन्दा पुत्र गंगू जाति ब्राह्मण निवासी डांगरथल को ग्राम डांगरथल में स्थित आराजी खसरा नं० 2035 में से 1 बिस्वा भूमि का बाड़ा आवंटन/नियमन किया गया था। प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में बाड़ा आवंटन/नियमन का अमल नहीं किया जाकर केवल मांग खसरा चौसाला में इस आशय का नोट अंकित किया है। इसके विपरीत उक्त भूमि पर नामान्तरकरण सं० 993 दिनांक 07-11-1978 द्वारा आवंटी गोविन्दा को गैर खातेदारी दी गयी है जो नियमों के प्रतिकूल है। अतः प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, निवाई द्वारा विपक्षी के पक्ष में खोला गया गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं० 993 निरस्त किया जावे।</p> <p>3- अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थीगण को</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रेफरेंस/एलआर/2006/1066/टैंक</b> <b>सरकार बनाम गोविन्दा</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>बार-बार आवाजें लगवाई गईं लेकिन बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>4- विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया है कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन बाड़ा डोल दर्ज थी। बाड़ा डोल किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया।</p> <p>5- हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया।</p> <p>6- पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार विपक्षी गोविन्दा पुत्र गंगू जाति ब्राह्मण निवासी डाँगरथल के ग्राम डाँगरथल के खसरा नं0 2035 में से 1 बिस्वा भूमि का बाड़ा प्रयोजनार्थ तहसीलदार, निवाई द्वारा दिनांक 27-10-1977 को नियमन किया गया है। विपक्षी गोविन्दा को नियमन की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत डाँगरथल द्वारा दिनांक 07-11-1978 को गैर खातेदारी नामान्तरकरण सं0 993 स्वीकृत किया गया है जबकि बाड़ा प्रयोजनार्थ आवंटित/नियमन की गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का टाईटल आवंटी को प्राप्त नहीं हो सकता है। विपक्षी के पक्ष में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना अथवा खातेदारी अधिकार दिया जाना</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रेफरेंस/एलआर/2006/1066/टैंक</b> <b>सरकार बनाम गोविन्दा</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के प्रतिकूल होने से नामान्तरकरण सं० 993 निरस्तनीय होने एवं उक्त आराजी वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं किन्तु प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पक्ष में अविधिक रूप से किया गया है।</p> <p>7- राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार “राजकीय सिवायचक” किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार है:-</p> <p>“4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955”</p> <p>8- इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार है:-</p> <p>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>9- प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजकीय सिवायचक की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रेफरेंस/एलआर/2006/1066/टोंक</b> <b>सरकार बनाम गोविन्दा</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं:-</p> <p>All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.</p> <p>उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए।</p> <p>10- अतः उपरोक्त परिस्थिति में जिला कलक्टर, टोंक द्वारा मण्डल को विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>11- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम डाँगरथल के खसरा नं० 2035 में से 1 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के खाते से निरस्त करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावें तथा उक्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त किया जाता है।</p> <p>12- आदेश की सूचना उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>13- पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><b>(गौरव बजाड़)</b> <b>सदस्य</b></p>	